


फर्द अहकाम

न्याय..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम..... गोविन्दगढ़ (अलवर)
 कन्हैया..... बनाम..... मंगलाराम वर्गैरा
 प्रकरण सं. 2/139/2023 ता. रजू. 11.08.2023

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
11.08.2023	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को ज्यों अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी ता0 पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादीत आराजी खसरा नम्बर 1116, 1118, 1120, 1162, 1165, 1242 वाके ग्राम मालपुर तह0 गोविन्दगढ़ में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं रहन बय व बैचान ना करे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यतः बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 11.09.2023 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो, पत्रावली दिनांक 11.09.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) </p> <p> 11.9.23 प्रार्थी उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 11.8.23 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण से दिनांक 06.10.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) </p> <p> 06.10.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब है। पत्रावली दिनांक 05.10.23 को पेश हो। रौडर </p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहम जा
------------	---------------------------------	--------------------

23/10/23 पत्रावली के ... द्वारा कार्य
स्थगित किया है। न.0. सा. ...
... कार्य ... है।
पत्रावली दिनांक ... को पेश हो।

11.12.23 पत्रावली पेश हुई। वफुलाय जेरकिन उपर
अपराधीगण। प 4 ल 0 8 की ओर से पत्रावली पेश
किया जो मूल वाद के सम्बन्ध में पत्रावली वाले
शेख की तस्वी व पत्रावली दिनांक 22.12.23 को
पेश हो। 08.1.24

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

22.12.23 ... उपस्थित
साबिक आदेश दिनांक ... 11.12.23.
की पालना में पत्रावली वास्ते ... 2 पत्र 79 की पेश
दिनांक ... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

25.1.24 ... उपस्थित
साबिक आदेश दिनांक ... 11.12.23.
की पालना में पत्रावली ... शेख की तस्वी
दिनांक ... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

14.2.24 पत्रावली सस्तूर हुई। वहील साधी अनुपस्थित।
वहील व उनके साधीगण को बार-बार भाषाज
दियायी गई। साथ 5:00 बजे तक शेतवार किया।
इसके बावजूद कोई उपस्थित नहीं आया। अतः
पत्रावली पत्रा-212 वहील व उनके साधीगण की
अहम पेश की अहम हाजिरी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैनस शूभर देकर नम्बर
से काम हो। बाद तमिल तमिल हाजिल पेश हो।